

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/17071-78

दिनांक:- 04 अक्टूबर 2013

आदेश संख्या 288/2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति (2013-14) की सिफारिशों के आधार पर श्री नेमीचन्द हरिजन (अजा), कनिष्ठ लेखाकार मेरिट क्रमांक 57/92SP, जन्मतिथि 15.01.68, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके द्वारा तत्समय सन्तान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इनके पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गये थे। अब इनके द्वारा वांछित सन्तान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की जाकर लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला (पे बैंड-2) 9300-34800 ग्रेड-पे नम्बर 12 (रुपये 4200/-) में स्थानापन रूप से नियुक्त किया जाता है :-

श्री नेमीचन्द हरिजन, कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या प.2 (15) वित्त/राजस्व/10 दिनांक 21 जून 2013 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/17071-78

दिनांक:- 04 अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त चूरु को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित क0 लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक-11) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार के कम्प्यूटर लिंक नम्बर जांच कर एवं निजी पत्रावलियों पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें।
3. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी.....
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं PIS में प्रविष्टि कर रेकार्ड संधारण हेतु
5. श्री नेमीचन्द हरिजन, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त चूरु को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया
8. निजी पत्रावली/आदेश पत्रावली।
- 9.


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)